न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 142/16

तारीख रजू :– 08.12.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

आर.ए.एस.

1 मोतीराम

2 सूरजराम } पि. लालमन जाति बैरवा, निवासी भीमपुर तह0

3 भगवती प्रसाद टोडाभीम जिला करौली राज0

4 कमला देवी पुत्री लालमन

बनाम

1 गंगाराम } पि. रेलू } समस्त जाति बैरवा, निवासी भीमपुर

2 रामचरण तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

3 मंगली पत्नी रेलू

4 तहसीलदार तह0 टोडाभीम

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 सुरेश चन्द शर्मा – अभिभाषक वादीगण

2 प्रतिवादी की ओर – रामअवतार शर्मा एडवोकेट

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निर्णय

दिनांक– 01.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 342/0.03, 343/0.05, 363/0.11, 377/0.05, 378/1/0.02, 382/0.06, 385/0.23, 389/0.03, 399/0.28, 401/0.05, 550/2/0.16, 952/452/0.25 कुल किता 12 कुल रकबा 1.32है0 ग्राम भीमपुर तह टोडाभीम जिला करौली राज0 में स्थित है। आराजी ख0नं0 361 रकबा 0.06है0 ग्राम भीमपुर में स्थित है। उक्त आराजी अन्य आराजी के साथ कुल किता 274 रकबा 37.94है0 ग्राम भीमपुर में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम 26/542 है। उक्त आराजी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हिस्से व कब्जे में है। उक्त आराजीयात के बाबत् एक मुकदमा ईश्वर बनाम जगन बगै0 मु.नं0 549/2002 चला था। जिसमें वादीगण के पिता व पति लालमन तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पिता व पति रेलू पक्षकार थे। वादीगण के नाम ख0नं0 343 रकबा 0.05है0 खातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 काबिज एवं दखील है तथा पुख्ता मकानियत बने हुये है। तथा ख0नं0 361 पर वादीगण काबिज है। जबकि उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व अन्य के नाम दर्ज है। उक्त मुकदमें के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में काफी विवाद बना रहता है। जबकि उक्त आराजी ख0नं0 361 पर वादीगण काबिज है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से ख0नं0 361 की खातेदारी अपने नाम कराने को कहा तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया। वादीगण जहॉ काबिज है वहॉ पर 361 तथा जहॉ वादीगण की खातेदारी में ट्रेश में 343 दर्ज है। वहॉ पर 361 दर्ज कर दिया जावे। वादीगण को उक्त गलती का पता चलने पर समस्त रेवन्यू रिकार्ड लेकर दिनांक 06.12.2016 को तहसीलदार से मिले तथा रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया कि जहॉ में काबिज हूँ। उक्त स्थान पर 361 दर्ज कर खातेदारी प्रतिवादीगण व अन्य की कर दी है। तथा जहॉ पर मेरे नाम खातेदारी है वहॉ पेर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 काबिज है। इसलिये उक्त रेवन्यू रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे तो तहसीलदार द्वारा साफ इन्कार कर दिया। इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपजिला कलेक्टर (करौली) राज०

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, पक्षकारान के मध्य राजीनामा पेश किया, राजीनामा में यह तय किया गया कि ख0नं0 343 रकबा 0.05है0 ग्राम भीमपुर में स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज है। लेकिन उसका कब्जा प्रतिवादीगण का है। जबकि ख0नं0 361 रकबा 0.06है0 ग्राम भीमपुर में स्थित है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3

उप जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। लेकिन उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी से संबंधित एक मुकदमा ईश्वर बनाम जगन वगै0 मु0नं0 549/2002 चला था। उसके बाद वादीगण की खातेदारी अलग करते समय वादीगण के नाम ख0नं0 343 रकबा 0.05है0 कर दिया, जबकि उक्त आराजी पर वादीगण कभी काबिज नही रहे, तथा ख0नं0 361 रकबा 0.06है0 पर वादीगण काबिज है। ख0नं0 343 के स्थान पर 361 व 361 के स्थान पर 343 नवीन ट्रेश में दर्ज करने में हमें कोई एतराज नही है। पत्रांवली न्याय आपके द्वार ग्राम सांकरवाडा में प्रस्तुत हुई। दोनो पक्ष उपस्थित हुये, पटवारी हल्का व आमजन से उक्त विवाद की जानकारी चाही तो बताया कि वादी काबिज है। उक्त स्थान पर वादी की खातेदारी नही है। तथा जहाँ खातेदारी है। वहाँ वादी काबिज नही है। इसलिये मुताबिक राजीनामा दावा डिकी होने योग्य प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि नवीन ट्रेश ग्राम भीमपुर में ख0नं0 361 के स्थान पर 343 तथा 343 के स्थान पर ख0नं0 361 दर्ज किया जावे। रकबा पूर्वानुसार बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर (करौली) राज0

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास जगदीश आर्य आर.ए.एस.

उनवान

1	मोतीराम	पि. लालमन	जाति बैरवा, निवासी भीमपुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0
2	सूरजराम		
3	भगवती प्रसाद		
4	कमला देवी पुत्री लालमन		

बनाम

1	गंगाराम	पि. रेलू	समस्त जाति बैरवा, निवासी भीमपुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।
2	रामचरण		
3	मंगली पत्नी रेलू		
4	तहसीलदार तह0 टोडाभीम		

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 142/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई हमारे व हाजिरी सुरेश चन्द शर्मा मिनकानिब गुदई रूबरू रामअवतार शर्मा प्रतिवादीगण की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि :–

अतः आदेश दिया जाता है कि नवीन ट्रेश ग्राम भीमपुर में ख0नं0 361 के स्थान पर 343 तथा 343 के स्थान पर ख0नं0 361 दर्ज किया जावे। रकबा पूर्वानुसार बदस्तूर रहेगा।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

जिला कलेक्टर (करौली) राज0

Scanned by CamScanner

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहद अदालत के आज तारीख 08.01.2018 को जारी की गई।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner